रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/99

REGD. No D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 764] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 27, 2000/अग्रहायण 6, 1922
No. 764] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 27, 2000/AGRAHAYANA 6, 1922

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2000

का०आ० 1051 (अ).—यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम और उसके अनेक पक्ष (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् यू0एल0एफ0ए0 कहा गया है) का पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों से मिलकर, असम को भारत से सशस्त्र संघर्ष द्वारा मुक्त कराना और साथ ही भारत-बर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए, उस क्षेत्र के समरूचि संगठनों से मिलकर संघर्ष जारी रखना और उससे असम को भारत से अलग कराना प्रव्यंजित उद्देश्य है,

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यू0एल0एफ0ए0:-

(i) असम को मुक्त करने के अपने उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए, भारत की प्रभुता और क्षेत्रीय अखण्डता को विच्छिन्न करने के लिए आशयित अनेक अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त रहा है,

(ii) असम को मुक्त कराने के लिए विधि विरुद्ध संगमों, जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड, के साथ संबद्ध रहा है,

(iii) इसकी विधि विरुद्ध संगम के घोषणा किए जाने के दौरान भी यह अपने ध्येय और उद्देश्य के अनुसरण में विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में लगा हुआ था,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

(i) 27.11.98 से 30.6.2000 की अवधि के दौरान 357 हिंसक और आतंकवादी घटनाएं हुई जो यू0एल0एफ0ए0 द्वारा की गई ,

(ii) धन ऐंठने और अलगाववादी गतिविधियों तथा फिरौती के लिए अपहरण की गतिविधियों के अलावा, निर्दोष नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने के क्रियाकलापों में लिप्त रहा,

(iii) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए नए काडरों की भर्ती और जिला, आंचलिक और शाखा समिति को पुनर्गठित करने के लिए धीरे-धीरे किन्तु व्यवस्थित अभियान चलाने के लिए आधारभूत स्तर पर अपने संगठनात्मक नेटवर्क की संरचना करने के कार्यक्रम को प्रारंभ करना,

(iv) संगठन का प्रचार खण्ड सक्रिय रहा है और उसने इकाई के लक्ष्यों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिकथित शोषण को प्रदर्शित करते हुए और तथाकथित मुक्ति संघर्ष में सम्मिलित होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हुए, और उसके द्वारा उनकी निष्ठाओं को नष्ट करते हुए गुप्त पुस्तिकाएं, मैगजीन प्रकाशित की है,

(v) अपने काडर के पुलिस भेदियों/सरकार के सहयोगियों की सूची तैयार करने के लिए हिदायत देना जिससे उनके विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य की पहचान की जा सके,

(vi) यू0एल0एफ0ए0 के सैन्य खण्डों को आम जनता के साथ मिल जाने और समनुदेशित कार्यों को निष्पादित करने का अनुदेश देना,

(vii) पड़ौसी देशों में शरण स्थल स्थापित कर लिए हैं और इन देशों में अनेक प्रशिक्षण कैम्प स्थापित किए हैं ।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि पूर्वांकित कारणों से, यू0एल0एफ0ए0 के क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यह एक विधिविरुद्ध संगम है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यू0एल0एफ0ए0 और उसके विभिन्न खण्डों को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है ।

और केन्द्रीय सरकार की यह और राय है कि यदि यू0एल0एफ0ए0 के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को तत्काल रोका और नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वह निम्नलिखित अवसरों का उपयोग करेगा:

(i) अपने काडरों को अपने पृथकतावादी/विनाशक और आतंकवादी/हिंसक क्रियाकलापों के लिए तैयार करना,

(ii) भारत की प्रभुता और राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति विद्वेषी बलों के सहयोग से, खुले रूप से राष्ट्र विरोधी क्रियाकलापों का प्रसार करना,

(iii) नागरिकों की बढ़ती हुई हत्या और पुलिस तथा सुरक्षा बल कार्मिकों को लक्ष्य बनाने में लगना,

(iv) सीमा पार से अधिक अवैध शस्त्र और गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना,

(v) अपने विधि विरुद्ध क्रियाकलापों के लिए जनता से प्रचुर मात्रा में निधि और अवैध कर छीनना और एकत्रित करना,

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित यू0एल0एफ0ए0 के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, और हाल ही में विगत काल में पुलिस, सशस्त्र बलों और नागरिकों के विरुद्ध यू0एल0एफ0ए0 द्वारा बढ़ाई जा रही हिंसा का सामना करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से यू0एल0एफ0ए0 को विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है और तदनुसार केन्द्रीय सरकार, धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी ऐसे आदेश के अधीन रहते हुए, जो उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किया जा सकेगा, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

[फा०सं० 11011/65/2000-एन०ई०-IV]

जी० के० पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2000

S. O. 1051(E).— Whereas the United Liberation Front of Asom and the various wings thereof, (hereinafter referred to as the ULFA) has as its professed aim, the "Liberation" of Assam from India through an armed struggle, in alliance with other armed secessionist organizations of the North East Region as well as to struggle for the national liberation of the Indo-Burma region in alliance with like-minded organizations of that region and thereby, the secession of Assam from India;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the ULFA has-

(i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;

(ii) aligned itself with other unlawful associations like the National Socialist Council of Nagaland to liberate Assam;

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the currency of its declaration as an unlawful association;

And whereas, the Central Government is further of the opinion that the unlawful and violent activities include-

(i) 357 violent and terrorist incidents which are attributed to the ULFA during the period from 27.11.98 to 30.06.2000.

(ii) indulging in a spate of extortion and secessionist activities, and endangering lives of innocent citizens, in addition to its acts of kidnapping for ransom;

(iii) embarking on a programme of restructuring its organizational network at grass root level by launching a quiet but systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities;

(iv) publicity wing of the organization has remained active and has published clandestine leaflets, magazines highlighting the goal of the outfit, alleged exploitation by the Central Government and exhorting the people to join the so-called liberation struggle and thereby subverting their loyalties;

(v) instructing its cadres to compile the list of police informers/government collaborators and to identify targets for retaliatory action against them;

(vi) instructing the army wing of the ULFA to mingle with the common people and execute assigned tasks;

(vii) established sanctuaries in neighbouring countries and has established a number of training camps in these countries;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that for the reasons aforesaid, the activities of the ULFA are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the United Liberation Front of Asom (ULFA) and its various wings to be an unlawful association.

And whereas, the Central Government is further of the opinion that if there is no immediate curb and control of unlawful activities of the ULFA, it will take the opportunity to-

(i) mobilize its cadres for escalating its secessionist, subversive and terrorist/violent activities;

(ii) openly propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;

(iii) indulge in increased killings of civilians and targetting of police and security forces personnel;

(iv) procure and induct more illegal arms and ammunitions from across the border;

(v) extort and collect huge funds and illegal taxes from the public for its unlawful activities;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that having regard to the activities of the ULFA mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by the ULFA in the recent past against the Police, the Armed Forces and the civilians, it is necessary to declare the ULFA to be an unlawful association with immediate effect and accordingly in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 11011/65/2000-NE.IV]

G.K. PILLAI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—2000.